"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2009—भाद्र 13, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/22/2004/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2009 द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग को दिनांक 06-07-2009 से 14-07-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री असवाल को दिनांक 15-07-2009 को एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2009

क्रमांक-एफ 3-16/09/बजट/गृह-दो.— दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-लूण्ड्रा	थाना धौलपुर	ग्राम-सेमरडीह	08
			ग्राम-बाकिला	08
			ग्राम-खालपोड़ी	08

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक/एफ 1/14/दो-गृह/भापुसे/2007.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामगोपाल, भापुसे (परि.) जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को खंड वर्ष 2006-2009 में भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दार्जिलिंग/कोलकाता (वेस्ट बंगाल) जाने हेतु दिनांक 15-06-2009 से दिनांक 20-06-2009 तक कुल 06 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 14 एवं 21 जून, 2009 को शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ प्रदान करते हुए अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री रामगोपाल, भापुसे (2007) को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री रामगोपाल, भापुसे (परि.) जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामगोपाल, भापुसे (परि.) जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखारे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2009

क्रमांक एफ-1-5/2008/11/(6).— छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-1-5/2008/11/(6), दिनांक 25-06-08 में आंशिक संशोधन करते हुये सारणी के कालम 2 में दर्शित अधिकारियों के अवकाश अवधि में लिंक अधिकारी प्रतिस्थापित कर सरल क्रमांक 2 श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक एवं 3 श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक के अवकाश अवधि पर, श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक को एवं सरल क्रमांक 4 श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक के अवकाश अवधि पर श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक को लिंक अधिकारी नियुक्त करती है. लिंक अधिकारियों को सारणी के कॉलम नं. 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कॉलम नं. 3 में यथानिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की शक्तियां होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2009

क्रमांक 5608/डी-1894/21-ब/2009.— भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री रेव्ह सुनील मसीह को छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने, और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 5608/D-1894/21-B/2009.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license (Minister of Religion) to Shri Rev. Sunil Masih for Korba District State of Chhattisgarh :—

1. To Solemnize Marriage; and
2. To grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2009

क्रमांक एफ. 1-20/2009/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः**—

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग आकस्मिकता मद से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2009 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम "राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएँः**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ;

(ख) "आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी" से अभिप्रेत है, ऐसे कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुये जो कि वर्ष में कतिपय कालावधियों के लिये ही नियुक्त किये जाते है, किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्णकाल के लिये नियुक्त व्यक्ति और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन "कार्यालय आकस्मिकताएं" पर प्रभारित किया जाता है ;

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी ;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य का शासन ;

(च) "राज्य शासन के अधीन नियमित कर्मचारियों" से अभिप्रेत है, ऐसे शासकीय कर्मचारी जो नियमित नियोजन में है और जो राज्य शासन के अधीन ऐसे स्थाई या अस्थाई पद धारण कर रहे हों जो आकस्मिकता से वेतन पाने वाले पदों से भिन्न हो ;

(छ) सेवा से अभिप्रेत है, आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा ;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

//2//

(ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5–पच्चीस–4–84 दिनांक 26.12.1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ।

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति** :– इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, छत्तीसगढ़ सेवा की सामान्य शर्ते नियम, 1961 इस सेवा के सदस्यों को लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन** :– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:–

(1) वे व्यक्ति जो 01 जनवरी 1998 को आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रुप में कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों और उस दिनांक को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहे थे और जिन्होंने उस दिनांक को अधिवार्षिकी की वह आयु पूरी न कर ली हो जो कि राज्य शासन के अधीन नियमित नियोजन में समतुल्य वर्ग के पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये विहित है ।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हो ।

5. **वर्गीकरण, पदों की संख्या इत्यादि**:– वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परंतु शासन सेवा में सम्मिलित किए गये पदों की संख्या में समय–समय पर स्थाई या अस्थाई रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **प्रवर्गीकरण**:– (1) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इन नियमों के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित दो प्रवर्गों में विभाजित किये जायेगें:–

(एक) स्थाई, तथा

(दो) अस्थाई

(2) वह कर्मचारी ;– (क) जिन्होंने ऐसी सेवा पूरी कर ली हो, जो पन्द्रह वर्ष से कम न हो, वे स्थायी प्रवर्ग में सम्मिलित होंगे।

(ख) जो उक्त तारीख के पूर्व नियुक्त किया गया हो, किन्तु जिसने 01 जनवरी 1998 को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी, वह अस्थाई प्रवर्ग में सम्मिलित रहेगा तथा पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् ही स्थायी प्रवर्ग के लिये पात्र हो सकेगा।

7. **भर्ती तथा पदोन्नति** :– (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिये एक इकाई गठित करेगी ।

//3//

(2) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या ऐसे अधिक तरीकों से, जो कि विहित किये जाये, की जायगी अर्थात्:—

(क) चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) निर्दिष्ट ऐसी सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा।

(3) उप नियम 2 के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची एक में उल्लिखित पदों की संख्या के साथ अनुसूची दो में उल्लिखित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

8. **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति – (एक)** सीधी भर्ती हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्न लिखित सदस्य होंगे :—

(1)	संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा मनोनित अपर संचालक/संयुक्त संचालक (भौमिकी)/संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) –	::	अध्यक्ष
(2)	वित्त लेखा सेवा से संचालनालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उप–संचालक/सहायक संचालक	::	सदस्य
(3)	प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा	::	सदस्य सचिव

समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का होगा, नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का मनोनित किया जा सकेगा।

(दो) नये प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की शारीरिक समर्थता, आयु तथा अधिवार्षिकी की आयु:– भर्ती तथा अधिवार्षिकी के लिये आयु तथा शारीरिक योग्यता के विषय में, सेवा में प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों को वही नियम तथा निर्देश लागू होंगे, जो कि नियमित नियोजन में समतुल्य प्रवर्गों के शासकीय सेवकों को लागू हैं ।

(तीन) शैक्षणिक अर्हतायें :– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये जो कि अनुसूची – तीन में दर्शाई गई है।

(चार) निरर्हता :– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये सिफारिश करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके परीक्षा आदि के चयन हेतु निरर्हता के रूप में माना जावेगा।

//4//

9. **वरिष्ठता सूची:**— पदोन्नति के साथ ही साथ छटनी के प्रयोजनों के लिये, प्रत्येक प्रवर्ग की वरिष्ठता सूची प्रत्येक इकाई में या संपूर्ण राज्य के आधार पर, जैसा कि शासन द्वारा विनिश्चय किया जाये, बनाये रखी जायगी । जब कोई कर्मचारी, शासकीय कार्य हित में एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया जाय, तो यथा स्थिति पदोन्नति या छटनी के विषय में, मूल इकाई में उसकी सेवा में सेवा की निरंतरता पर ध्यान दिया जायेगा ।

10. **सेवा अभिलेख:**— स्थाई या अस्थाई कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख, प्रत्येक इकाई स्तर पर सम्यक् रुप से सत्यापित किये जाकर प्रारुप में रखे जायेंगे जिसमें शासन के अराजपत्रित कर्मचारीवृन्द के सेवा अभिलेख रखे जाते है ।

11. **सेवा मुक्ति संबंधी प्रमाण पत्र:**— उस मामले में जब कोई कर्मचारी छटनी के परिणामस्वरुप या अन्यथा सेवा छोड़ दे तो उसे, मांगे जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रारुप में दिया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. नाम ....
2. पिता का नाम/पति का नाम ....
3. पहचान का चिन्ह (यदि कोई हो) ....
4. .... से .... तक कुल सेवा
5. सेवा छोड़ते समय धारित नियुक्ति ....
6. वेतनमान की दर (यदि कोई हो) ....
7. सेवा छोड़ने का कारण

कर्मचारी के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा
तथा पदनाम

12. **शास्तियाँ** :—

(1) आचरण नियम के उल्लंघन पर उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में उल्लेखित शास्तियों में से उचित शास्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों/प्रक्रिया का पालन करते हुये अधिरोपित की जा सकेगी।

(2) अधिरोपित शास्तियों के विरुद्ध संबंधित अपील के पुनर्विलोकन के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान लागू होंगे।

//5//

13. **निर्वचनः**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

14. **शिथिलीकरण** :— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते है, शासन की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को, जो उसे (शासन को) न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु मामले में ऐसी किसी रीति में कार्यवाही नहीं की जायेगी जो कि उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो ।

15. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लागू समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

अनुसूची – एक

(नियम 5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या

स. क.	सेवा में सम्मिलित किए गए पदों के नाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित बैण्ड एवं वेतनमान	ग्रेड पे	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खनिज साधन विभाग					
1.	मददगार	4	वेतन बैण्ड – 1 रूपये 5200–20200	1900/–	तृतीय श्रेणी
2.	वाहन चालक	29	वेतन बैण्ड – 1 रूपये 5200–20200	1900/–	तृतीय श्रेणी
3.	ट्रक चालक	8	वेतन बैण्ड – 1 रूपये 5200–20200	1900/–	तृतीय श्रेणी
	ट्रैक्टर चालक	6	वेतन बैण्ड – 1 रूपये 5200–20200	1900/–	तृतीय श्रेणी
4.	चौकीदार	3	1 एस रूपये 4750–7440	1300/–	चतुर्थ श्रेणी
5.	क्लीनर	4	1 एस रूपये 4750–7440	1300/–	चतुर्थ श्रेणी
6.	चैनमेन	9	1 एस रूपये 4750–7440	1300/–	चतुर्थ श्रेणी

टीप: (1) सरल क्रमांक 1 के कॉलम 3 में 3 पद सांख्येत्तर सम्मिलित है ।
(2) सरल क्रमांक 4 के कॉलम 3 में 1 पद सांख्येत्तर सम्मिलित है ।
(3) सरल क्रमांक 6 के कॉलम 3 में 9 पद सांख्येत्तर सम्मिलित है ।

अनुसूची – दो

(नियम 7 देखिए)

भर्ती का तरीका

स0 क्र0	विभाग का नाम, पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनियुक्ति	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
खनिज साधन विभाग						
1	मददगार	4	100	–	–	
2	वाहन चालक	29	100	–	–	
3	ट्रक चालक ट्रैक्टर चालक	8 6	100	–	–	
4	चौकीदार	3	100	–	–	
5	क्लीनर	4	100	–	–	
6	चैनमेन	9	100	–	–	

// अनुसूची – तीन //

(नियम 8 (1) देखिये)

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	स0क्र0	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खनिज साधन विभाग	1.	मददगार	18 वर्ष	30 वर्ष (35 वर्ष स्थानीय निवासी हेतु)	आई.टी.आई. से डीजल मैकेनिक या मशीनिस्ट या आटो मोबाईल या ट्रेक्टर मैकेनिक उत्तीण
	2.	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष (35 वर्ष स्थानीय निवासी हेतु)	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण । हल्के वाहन का ड्राईविंग लाईसेंस। हल्के वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव ।
	3.	ट्रक चालक ट्रैक्टर चालक	18 वर्ष 18 वर्ष	30 वर्ष (35 वर्ष स्थानीय निवासी हेतु) – तदैव –	(1) आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण। भारी वाहन का ड्राईविंग लाईसेंस। भारी वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव । (2) आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण। ट्रेक्टर का ड्राईविंग लाईसेंस। ट्रैक्टर चलाने का दो वर्ष का अनुभव ।
	4.	चौकीदार	18 वर्ष	30 वर्ष (35 वर्ष स्थानीय निवासी हेतु)	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण ।
	5.	क्लीनर	18 वर्ष	30 वर्ष (35 वर्ष स्थानीय निवासी हेतु)	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण । भारी वाहन का ड्राईविंग लाईसेंस।
	6.	चैनमेन	18 वर्ष	30 वर्ष (35 वर्ष स्थानीय निवासी हेतु)	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

Raipur, the 11th August 2009

No. F. 1-20/2009/12.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules of service of contingency paid employees, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement:-**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Geology and Mining Department Contingency paid Employees Recruitment and conditions of service Rules, 2009

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions**:- In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Appointing authority" means Director, Geology and Mining or the officer authorised by the Government;

(b) "Contingency - paid Employee" means a person employed for full time in an office or establishment and who is paid on monthly basis and whose pay is charged to "Office contingencies" excluding the employees who are employed for certain periods only in the year ;

(c) "Employee" means a contingency paid employee;

(d) "Governor" means the Governer of Chhattisgarh;

(e) "Government" means the Government of the State of Chhattisgarh;

(f) "Regular Employees under the State Government" means Government Servants who are in regular employment holding permanent or temporary posts under the State Government as distinct from posts on the posts paid from Contingencies;

(g) "Service" means the Chhattisgarh Contingency Paid Employees Service;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(i) "Schedule Castes" means the Schedule Castes as specified in relation to this State under article 341 of the constitution;

(j) "Schediled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under article 342 of the constitution;

(k) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26.12.84 as amended from time to time.

3. **Scope and Application**:- Save as provided otherwise in that rules, Chhattisgarh General Conditions of Service Rules, 1961 shall be applicable to the members of this service

4. **Constitution of the Service**:- The service shall consist of the following persons:-

(1) Persons who on 1st January 1998 had completed at least one year's service as contingency-paid employees, and who on that date were holding the posts specified in the schedule and who on that date had not completed the age of superannuation prescribed for employees holding comparable class of posts in the regular employment of the State Government.

(2) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, number of posts etc.:-** Classification, and the number of posts included in the service and the appointing authority therefore shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule.

Provided that the Government may, from to time to time, add to or reduce the number of post included in service, either on a permanent or a temporary basis.

6. **Categorisation:-** (1) Contingency paid employees for the purpose of these rules shall be divided into the following two categories:-

(i) Permanent and

(ii) Temporary

(2) The employee.- (a) Who has completed such services, which is not less than fifteen years, shall be included in permanent class.

(b) Who has been appointed prior to the said date, but had not completed fifteen years' service on the 1st January 1998, shall be included in temporary class and be eligible for permanent class only after complition of fifteen years' service.

7. **Recruitment and Promotion :-**

(1) The establishment under the appointing authority specific in the Schedule shall constitute a unit for all purposes including recruitment, seniority and promotion.

(2) Appointment of the Contingency-paid employees shall be made by one or more of the following methods as may be prescribed, namely:-

(a) by direct recruitment by selection,

(b) by transfer of person who hold in a substantive capacity in such service.

(3) The number of persons recruited under clause (a) or (b) of sub-rule (2) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts (as specified in Schedule I)

8. **Appointment by direct recruitment - (I)** A committee shall be constituted to select the suitable candidate for direct recruitment, which will include the members as specified as below:-

(1)	Additional Director/Joint Director (Geology)/Joint Director (Mineral Administration) nominated by Director Geology and Mining	:	Chairman
(2)	Deputy Director/Assistant Director on Deputation in the Directorate from Treasury and Accounts Services	:	Member
(3)	Officer In charge, Establishment Section	:	Member Secretary

Committee shall have a member of Schedule Caste or Schedule Tribe, if not; a member of Schedule Caste or Schedule Tribe shall be nominated by Appointing Authority.

(ii) **Age of physical fitness of new entrants and age of superannuation: -** In the matter of age of physical fitness for recruitment and superannuation, the same rules and policies shall apply to the new entrants into the service as are applicable to the Government Servants of comparable categories in the regular employment.

(iii) Educational Qualification: - Candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule - III.

(iv) Disqualification:- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may by the Appointing Authority to disqualify him for selection to the examination etc.

9. **Seniority list**:- Seniority lists of each category shall be maintained in each unit or on a State-wise, as may be decided by Government, for purposes of promotion as well as retrenchment. When an employee is transferred from one unit to another in the interest of Government work his continuity of service in the parent unit shall be taken into account in the matter of promotion or retrenchment, as the case may be.

10. **Service records**:- Proper service records of employees permanent and temporary shall be kept duly verified at unit levels in the proforma as for the non-gazetted staff of the Government.

11. **Discharge certificate**:- In case an employee leaves the service as a result of retrenchment or otherwise, he may be given, on demand, a certificate, in the following form, by the appointing authority, namely:-

(1) Name ....

(2) Father's/Husband's Name ....

(3) Identification marks (if any) ....

(4) Total service from .... to ....

(5) Appointment held when leaving ....

(6) Rate of scale of pay (if any) ....

(7) Reason for quitting service ....

Employees Signature or Thumb impression

Seal and Designation of Appointing Authority

12. **Penalties.** - (i) An appropriate penalty from penalties mentioned in the Chhattisgarh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, shall be imposed upon the officers/ employees violating the conduct rules, complying with the provisions/ procedures of the Chhattisgarh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

(ii) The provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 shall be applicable regarding review of appeals against the penalties imposed upon.

13. **Interpretation**:- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

14. **Relaxation**:- Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these Rules.

15. **Repeal and Saving:-** All rules corresponding to these rules and enforced immediately before their commencment are hereby repealed in manner of matters covered in these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponing of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

Schedule - I

[See Rule 5]
Classification in service, pay scale and number of posts

S.No.	Name of post included in service	No. of posts	Revised Pay Band and Pay Scale	Grade Pay	Class
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mineral Resources Department					
1.	Helper	4	Pay band - 1, Rs. 5200-20200	1900/-	Class III
2.	Driver	29	Pay band - 1, Rs. 5200-20200	1900/-	Class III
3.	Truck Driver	8	Pay band - 1, Rs. 5200-20200	1900/-	Class III
	Tractor Driver	6	Pay band - 1, Rs. 5200-20200	1900/-	Class III
4.	Chowkidar	3	1 - S, Rs. 4750-7440	1900/-	Class IV
5.	Cleaner	4	1 - S, Rs. 4750-7440	1900/-	Class IV
6.	Chainman	9	1 - S, Rs. 4750-7440	1900/-	Class IV

Note: - (1) Three supernumerary post is included in column 3 of S.No. 1
(2) One supernumerary post is included in column 3 of S.No. 4
(3) Nine supernumerary post is included in column 3 of S.No. 6

Schedule - II

[See Rule 7]
Procedure of Recruitment

S.No.	Name of Department/ Name of Posts	Number of Post	Percent of post to be filled			Remarks
			Direct Recruitment	Promotion	Deputation	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Minirel Resourses Department						
1.	Helper	4	100	-	-	
2	Driver	29	100	-	-	
3	Truck Driver Tractor Driver	8 6	100	-	-	
4	Chowkidar	3	100	-	-	
5	Cleaner	4	100	-	-	
6	Chainman	9	100	-	-	

Schedule - III

[See Rule 8 (1)]
Age and qualifications of the persons of direct recruitment

Name of Department	S.No.	Name of post	Minimum age	Maximum age	Required Educational Qualification and Experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Minirel Resourses Department	1.	Helper	18 years	30 years (35 years for local resident)	I.T.I. Exam Passed in Desel Mechanic or Machinist or Aoutomobile or Tractor Mechanic
	2.	Driver	18 years	30 years (35 years for local resident)	Passed 8th standared. Driving Licence for Light Motor Vehicle. Two years experience of driving light motor vehicle.
	3.	Truck Driver	18 years	30 years (35 years for local resident)	(1) Passed 8th standared. Driving Licence for Heavy Motor Vehicle. Two years experience of driving heavy motor vehicle.
		Driver	18 years	- Do -	(2) Passed 8th standared. Driving Licence for Tractor. Two years experience of driving Tractor.
	4.	Chowkidar	18 years	30 years (35 years for local resident)	Passed 8th standared.
	5.	Cleaner	18 years	30 years (35 years for local resident)	Passed 8th standared. Driving Licence for Heavy Motor Vehicle.
	6.	Chainman	18 years	30 years (35 years for local resident)	Passed 8th standared.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	लोहड़ापानी प. ह. नं. 08	1.668	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ. ग.)	लोहड़ापानी जलाशय की मुख्य नहर हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	लोहड़ापानी प. ह. नं. 08	2.757	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ. ग.)	लोहड़ापानी जलाशय योजना डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लाखा प. ह. नं. 15	14.963	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूब से प्रभावित आबादी के पुनर्वास हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक/3/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	बेलसरी प. ह. नं. 12	0.68	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	सेमरकोना, आगर एनीकट के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक/13/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	9.002	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	बिलासपुर - उस्लापुर फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक/14/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिटी	7.821	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	बिलासपुर - उस्लापुर फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सरांईसिंगार	14.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	नवागांव	7.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	चैनपुर	4.64	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बिरदा	2.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	तेंदवाही व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	बोईदा	0.40	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पुटामुड़ा जलाशय बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	केशकाल	खालेमुरवेण्ड प.ह.नं. 7	5.83	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव.	मुरगांव व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत मुख्य एवं उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल एवं कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	केशकाल	मुरगांव प.ह.नं. 7	4.453	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव.	मुरगांव व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत मुख्य एवं उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल एवं कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र./2 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-तारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-225.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.28
3/1	0.06
3/2	0.05
4	0.07
5	0.11
6	0.08
7	0.13
8/1	0.04
8/2	0.04
9	0.10
10	0.33
12	0.76
14	0.26
15	0.20
16	0.27
17	0.16
18	0.25
21	0.35
22	0.22

(1)	(2)	(1)	(2)
23	0.40	94	0.52
24/1	0.98	96/1	0.02
24/2	1.02	96/2	0.19
24/3	0.40	100	0.80
24/4	0.04	101/1	0.19
25	0.27	101/2	0.16
27	0.59	102	0.27
30	1.12	103	0.46
33	0.28	105	0.40
34	0.28	106/1	0.13
35	0.18	106/2	0.38
36	0.16	107	1.05
38	0.18	113	0.26
40	0.36	114	0.98
42	0.05	115	0.28
44	0.41	116	0.14
47	0.96	117	0.29
49	0.42	118	0.08
53	0.10	119/2	0.16
54	0.10	120	0.31
56	0.44	121	0.12
57	0.32	122	0.59
61	0.24	124	0.11
64	0.69	125	0.29
65	0.21	126/2	0.12
67	0.32	128/1	0.07
68	0.14	131/1	0.27
70	0.21	131/2	0.20
71	0.73	132/1	0.14
73	0.34	132/2	0.14
75	0.41	134	0.23
76	0.22	138	0.24
77	0.48	139/1	0.36
79	0.25	139/2	0.09
80	0.32	139/3	0.10
82	0.31	139/4	0.11
83	0.18	139/5	0.11
84	0.37	139/6	0.11
85	0.23	140/1	0.69
86	0.15	140/2	0.04
87	0.23	145/1	0.13
88	0.11	145/2	0.28
89	0.27	145/3	0.10
90	0.29	145/4	0.08
91	0.34	145/5	0.05
92	0.41	146	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
148	0.79	178/7	0.08
150	0.25	178/8	0.16
151	0.04	178/9	0.12
152/1	0.26	179	0.15
152/2	0.10	180	0.14
153	0.20	181	0.17
154	0.36	182	0.16
156/1	0.33	183	0.60
156/2	0.34	184/1	0.06
159	0.49	184/1	0.04
160	0.39	184/2	0.04
161/1	0.30	184/3	0.22
161/2	0.16	184/4	0.08
161/3	0.12	184/5	0.12
162/1	1.31	184/6	0.04
162/2	0.67	184/7	0.04
162/3	0.57	184/8	0.04
162/4	0.16	184/9	0.04
162/5	0.19	185/1	0.58
162/6	0.44	185/2	0.02
164/1	0.26	186	0.18
164/2	0.25	188	0.43
167	0.41	189/1	0.49
168	0.57	189/2	0.02
169/1	1.00	193/1	0.10
169/2	1.00	193/2	0.09
170	1.71	193/3	0.09
171	0.12	193/4	0.03
172	0.07	193/5	0.09
173	0.06	193/6	0.06
174	0.05	197/2	0.11
175	1.79	198/2	0.04
175/872	0.32	199	0.70
178/1	0.21	200/1	0.13
178/1	0.06	200/2	0.01
178/11	0.06	200/3	0.40
178/12	0.06	200/4	0.02
178/13	0.06	201	0.18
178/14	0.06	202	0.08
178/15	0.22	204/1	0.30
178/16	0.12	204/2	0.02
178/2	0.27	204/3	0.04
178/3	0.12	205	0.07
178/4	0.20	206	0.19
178/5	0.06	207	0.32
178/6	0.22	208/1	0.31

(1)	(2)	(1)	(2)
208/2	0.08	249	0.23
209	0.03	250	0.19
210/1	0.08	251	0.11
210/2	0.11	252	0.18
210/3	0.10	253	0.10
214	0.52	255	0.10
215/1	0.27	256	0.18
215/2	0.08	262	0.25
216	0.48	264/1	0.09
217	0.58	264/2	0.70
218/1	0.52	266/1	0.32
219/2	0.02	266/2	0.11
219/3	0.10	267	0.19
220	0.16	276	0.15
221/1	0.21	277	0.15
221/2	0.40	278	0.29
221/3	0.12	279/1	0.11
222/1	0.06	279/2	0.12
222/2	0.06	280	0.07
222/3	0.06	281	0.17
222/4	0.07	282	0.74
222/5	0.07	283	0.56
223	0.27	284	0.56
224	0.07	287	0.40
224/877	0.12	287/876	0.24
225	0.18	288	0.24
226	0.23	289	0.20
227	0.06	290/1	0.32
229	0.05	290/2	0.05
230	0.14	290/3	0.02
231	0.09	292	0.23
232	0.04	294/1	0.14
234	0.06	294/2	0.08
235	0.13	296	0.11
236	0.07	297	0.19
236/875	0.08	298	0.41
241	1.46	299/1	0.29
243	0.80	299/2	0.28
244/1	0.19	300	0.25
244/2	0.06	301	0.50
245/1	0.16	302	0.21
245/2	0.16	303	0.23
245/3	0.16	304	0.20
245/4	0.16	305	0.20
246	0.62	306/1	0.24
247	0.18	306/2	0.25
248	0.20	307	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
308	0.25	348/7	0.06
309	0.64	348/8	0.20
310	0.53	348/9	0.40
311/1	0.41	348/10	0.40
311/2	0.41	348/11	0.23
312	0.16	350	0.10
313	0.31	351	0.26
315	0.29	352	0.23
316	0.14	353	0.19
317	0.19	354	0.10
318	0.38	356	0.26
319	0.47	360	0.09
320/1	0.40	361/1	0.23
320/2	0.21	361/2	0.44
320/3	0.22	362	0.60
321	0.10	363	0.85
322	0.34	364	0.54
323	0.08	366	0.45
324	0.08	367	0.79
325	0.36	368	0.37
327	0.07	370	0.31
328	0.69	371	0.11
330	0.73	372	0.20
331/1	0.14	377	0.22
331/2	0.14	378/1	0.50
332	0.24	378/2	0.21
333	0.24	380/1	0.13
334	0.24	380/2	0.28
335	0.23	381	0.47
336	0.33	382	0.33
337	0.92	383	0.15
338/1	0.16	384	0.45
338/2	0.16	385	0.49
338/3	0.16	386	0.06
342	0.15	387	0.27
343	1.07	388	0.30
344	1.06	391	0.39
345/1	0.09	392	0.37
345/2	0.09	393	0.47
346	0.34	394	0.02
348/1	0.45	395/1	0.33
348/2	0.09	395/2	0.60
348/3	1.14	396	0.14
348/4	0.15	397	0.36
348/5	0.15	398	0.20
348/6	0.39	399	0.16
		400	0.24

(1)	(2)
406	0.58
407	0.04
408	0.04
409	0.41
410	0.59
412	0.48
416	0.21
418	0.14
420	0.48
421	0.09
423/1	0.43
423/2	0.22
423/3	0.15
423/4	0.42
424	1.32
425	0.16
426	1.17
427	0.49
429	0.59
434	0.01
439/1	0.26
439/2	0.26
440	0.26
441	0.42
442	0.10
443/1	0.59
443/2	0.28
444	0.99
446	0.19
447/1	0.10
447/2	0.30
447/3	0.08
448	0.45
450	0.13
452	0.11
454	0.91
455	0.16
456	0.20
457	0.36
459	0.42
462	0.13
463	0.19
464	0.57
465	0.08
466	0.24
467	0.07

(1)	(2)
468	0.43
469	0.10
470	0.60
471	0.31
472/1	0.08
472/2	0.07
473/1	0.01
473/2	0.01
474/1	0.19
474/2	0.08
474/3	0.08
475/1	0.30
475/2	0.20
476/1	0.67
476/2	0.13
477	0.48
478	0.25
482	0.05
482	0.05
483	0.07
484	0.43
485	0.50
486	0.39
487	0.21
488/1	0.08
488/2	0.08
489	0.11
490	0.12
491	0.34
492	0.27
493	0.55
494	0.33
496	0.18
497	0.57
498	0.27
498/869	0.08
500	0.14
501	0.23
502	0.31
503	0.13
504	0.16
505	0.15
506	0.11
509	0.42
511/1	0.97
511/2	0.02
512/1	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
512/2	0.12	551	0.11
513	0.21	552	0.12
515/1	0.16	553/1	0.43
515/2	0.08	553/2	0.28
515/3	0.08	553/3	0.18
518/1	0.23	553/4	0.19
518/2	0.23	554	0.34
519	0.04	556	0.34
520	0.26	557	0.10
522/1	0.34	558	0.54
522/2	0.34	559/1	0.09
523/1	0.04	559/2	0.06
523/2	0.56	559/3	0.04
524	0.13	561	0.65
525	0.29	568	0.39
527	0.62	569	0.81
528	0.60	571	0.31
530	0.12	572	0.28
531	0.48	574/1	0.13
532/1	0.40	574/2	0.14
532/2	0.04	576/1	0.07
532/3	0.01	576/2	0.15
532/4	0.03	576/3	0.27
532/5	0.02	576/4	0.08
533/1	0.04	576/5	0.08
533/2	0.04	577/1	0.06
533/3	0.02	577/2	0.04
534/1	0.32	577/3	0.03
534/2	0.05	577/4	0.04
536	0.24	577/5	0.03
540/1	0.07	577/6	0.06
540/2	0.50	582	0.64
543	0.47	585	0.20
544	1.03	586	0.20
545	0.20	587	0.37
546/1	0.06	588	0.65
546/2	0.48	589	0.81
546/3	0.08	590	0.34
546/4	0.12	591	0.43
547	0.13	592	0.37
548	0.14	592/873	0.42
549/1	0.04	593	0.66
549/2	0.04	595	0.09
549/3	0.04	596	0.07
549/4	0.04	597	0.08
550	0.41	598	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
599	0.39	642/2	0.07
601/1	0.27	642/3	0.07
601/2	0.27	642/4	0.08
603	0.26	642/5	0.08
604	0.48	642/6	0.08
605	1.37	643	0.05
606/2	0.32	645/1	0.30
606/3	0.33	645/2	0.20
607	0.85	645/3	0.40
608	0.24	645/4	0.40
614	0.38	645/6	0.14
620	0.41	646	0.33
621	2.93	647	0.46
622	1.18	648	1.30
624/1	0.30	651/2	0.60
624/2	0.04	651/874	0.20
624/3	0.05	654	0.12
624/4	0.09	655/1	0.23
624/5	0.11	655/2	0.23
624/6	0.10	658	0.26
624/7	0.38	659	1.22
624/8	0.38	660	0.09
624/9	0.32	662	0.35
624/10	0.30	663	0.24
624/11	0.34	665	0.37
624/12	0.43	667	0.06
624/13	0.52	668	0.89
624/14	0.25	669/1	0.32
624/15	0.50	669/2	0.30
624/16	0.16	672	0.29
624/17	0.35	676/87	0.28
624/18	0.24	680	0.45
624/19	0.40	682	0.23
627	0.24	685	0.34
631/1	0.72	689	0.17
631/2	0.41	690	0.21
631/3	0.40	692	0.24
631/4	0.20	693	0.06
632	0.20	694	0.03
634/1	0.16	695	0.04
634/2	0.30	696	0.09
634/3	0.15	697/1	0.06
639	0.20	697/2	0.06
640/1	0.07	698	0.10
640/2	0.08	699	0.03
642/1	0.38	700	0.19

(1)	(2)
702	0.33
704	0.25
710/3	0.05
711	0.76
713/1	0.11
713/2	0.11
714	0.04
715/1	0.02
715/2	0.02
716/1	0.59
716/2	0.59
720	0.19
723	0.09
724/1	0.14
724/2	0.13
725	0.28
729	0.22
731	0.23
732	0.23
735	0.73
738	1.22
740	0.50
744	1.00
753	0.68
754	0.32
756	0.46
757	0.49
761	0.17
763	0.36
764	0.96
766/1	0.31
766/2	0.60
766/3	0.32
767	0.64
768	0.42
772/1	0.23
772/2	0.24
773	0.35
774	0.30
775	0.31
776	0.33
777	0.29
778	0.18
779	0.30
781	0.81
782	0.11

(1)	(2)
783	0.90
784	1.51
785	1.07
786	0.62
787	1.45
789	1.05
794	0.40
795	0.40
797	0.18
802/1	0.67
802/2	0.32
802/3	1.32
802/4	0.40
802/5	0.24
802/6	0.70
802/7	1.36
802/8	0.40
811	0.05
816	2.05
863/1	0.04
863/2	0.02
878/1	0.23
879	0.21
880	0.32
882	0.12
883	0.29
884	0.25
886/1	0.24
886/2	0.24
887	0.21
888	0.15
889	0.39
890	0.35
891	0.42
892	0.19
893	0.76
894	0.20
895	0.55
896	0.51
योग	225.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-तारा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र./3 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-प्रेमनगर
(ग) नगर/ग्राम-मेंडरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226	0.45
228	0.83
229	1.05
230	2.18
232	0.74
234	0.4
235	0.19
240	0.85
241	0.91
492	1.13
494	0.69
498	1.51
योग	10.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-तारा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र./4 अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-प्रेमनगर
(ग) नगर/ग्राम-जनार्दनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
342/3	0.29
342/4	0.11
342/5	0.08
342/6	0.25
347/1	0.41
347/2	0.1
347/3	0.1
347/4	0.1
347/5	0.11
350	1.29
352	0.41
354/1	0.15
354/2	0.07
354/3	0.15
354/4	0.15
354/5	0.08
358/1	0.07
358/2	0.06
358/3	0.07
360/1	0.66
360/1	0.15
360/2	0.3
360/3	0.21
360/4	1.02

(1)	(2)
360/5	0.4
360/6	0.4
360/7	0.4
360/8	0.08
360/9	0.43
361/1	0.1
361/2	0.1
361/3	0.1
361/4	0.1
367	0.3
368/1	0.28
368/2	0.28
368/3	0.28
368/4	0.28
370/1	0.14
370/2	0.33
370/3	0.33
370/4	0.08
370/5	0.25
370/6	0.19
371/1	0.12
371/1	0.22
371/2	0.12
371/3	0.14
371/4	0.45
371/5	0.16
371/6	0.42
371/7	0.22
371/8	0.11
371/9	0.15
383	0.53
385/1	0.08
385/2	0.08
385/3	0.08
385/4	0.28
385/5	0.28
385/6	0.16
392/1	1.13
392/2	0.56
392/3	0.56
392/4	0.56
392/5	0.15
392/6	0.56
392/7	0.44
395/1	0.07
395/2	0.07
396/1	0.03
396/2	0.04
405	0.26
406	2.87
407/1	0.31
407/2	0.31
योग	22.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-तारा कोल परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ानार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.534 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3/2	0.081

	(1)	(2)
	2	0.263
	3/3	0.101
	235/9	0.004
	235/47	0.004
	235/49	0.081
योग	6	0.534

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-ग्राम बम्हनी से लेकर ग्राम मड़ानार तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधान-मंत्री ग्राम सड़क परियोजना, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-सोनाबाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	477/2	0.012
योग	1	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-ग्राम सोनाबाल से लेकर ग्राम करनपुर तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधान-मंत्री ग्राम सड़क परियोजना, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-बड़े कनेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	311/2	0.033
योग	1	0.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-ग्राम दहिकोंगा से लेकर ग्राम कुकाड़गारकापाल तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधान-मंत्री ग्राम सड़क परियोजना, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-करनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.016
19/4	0.020
81/20	0.048
31/7	0.032
37/9	0.210
31/25	0.008
31/8 क	0.008
31/8 ख	0.016
31/18	0.008
37/28 ख	0.097
37/8 ख, 52/2	0.072
37/28 क	0.097
37/8 क, 52/1	0.072
योग 13	0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-ग्राम दहिकोंगा से लेकर ग्राम कुकाड़गारकापाल तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधान-मंत्री ग्राम सड़क परियोजना, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2009

प्रारूप तेरह
(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्रमांक 128/ज. सं/विप्रा/09.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण जो कि रायपुर में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी है, "कमल विहार" इंट्रिग्रेटेड टाऊनशिप योजना डूंडा के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 क्रमांक 23 दिनांक 05 जून 2009 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 65/मिस./टी.एस/2006/63/वि.प्रा./09 दिनांक 26-05-2009 द्वारा अधिसूचित की गयी चतुर्सीमाओं में जो अनुसूची-I अनुसार है, में छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्वीकृति पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1038/1778/32/2006 रायपुर दिनांक 10-08-2009 के अध्याधीन "कमल विहार" इंट्रिग्रेटेड टाऊनशिप योजना, डूंडा की सीमाओं में एतद्द्वारा संशोधित करते हुए प्रकाशित करती है.

संशोधित "कमल विहार" इंट्रिग्रेटेड टाऊनशिप योजना, डूंडा की संशोधित चतुर्सीमा अनुसूची-II में उल्लेखित है.

अनुसूची-I

उत्तर : ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 114 के शामिल ख. नं. 667, 666, 670/1, 674, 694, 695/1, 695/2, 696, 697, 706, 707, 625 एवं 431 तक.

दक्षिण : ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 118 के शामिल ख. नं. 71/1, 73, 74, 78, 79/2, 79/1 तक.

पूर्व में : ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 118 के शामिल ख. नं. 79/1, 85, 86/1, 86/2, 66/27, 66/60, 66/59, 66/58, 66/57, 40, 42, 44, 45, 6 का भाग 7/1, 8/1-2, 10, 11, 12/1, 12/2, 15/1, 2, 16/2, 17, 96/2, 103/6, 109/1, 111/1-2, 113, 117, 115/2, 116/1 तक तथा ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 114 के शामिल ख. नं. 712, 713, 714, 716, 715 एवं 624 तक.

पश्चिम : ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 118 के शामिल ख. नं. 65/17, 65/1-2-3, 65/15, 65/12, 65/11, 65/9, 66/21, 66/1, 66/59 (उपरोक्त सभी ख. नं. पुराना धमतरी रोड तक) एवं ख. नं. 54, 56/7, 56/1-2-3, 6 तक तथा ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 114 के ख. नं. 682/3, 682/2, 682/1, 673/5, 672, 671, 670/2, 669, 667 तक.

अनुसूची-II
(संशोधित चतुर्सीमा)

उत्तर में

(अ) ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 45 का ख. नं. :— 473, 474, 470, 471/2, 602/1, 605, 602/2, 602/6, 602/7, 602/4, 602/3, 599, 662, 663, 661, 660, 655, 625, 431 तक.

(ब) रायपुर धमतरी मार्ग
ग्राम देवपुरी, प. ह. नं. 52 का ख. नं. :— 326/2, 324, 321, 318/4, 318/2, 318/16, 318/5, 318/15, 316, 314/4, 308/2, 307/3, 4, 307/1, 2, 306, 304, 282, 284/2, 275, 254, 253, 252, 249, 249/2, 248 तक.

दक्षिण में

(अ) ग्राम देवपुरी, प. ह. नं. 52 का ख. नं. :— 417/5, 419/1 तक.

(ब) ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 51 का ख. नं. :— 227, 228, 236, 242, 241, 244, 250, 531, 532/4, 538/4, 543, 544, 545, 549, 550/2, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 559, 558, 510, 509, 503, 502, 501, 507/2, 507/3, 507/4, 507/1, 500/2, 499, 498, 497 तक.

पूर्व में

(अ) रायपुर धमतरी मार्ग
ग्राम देवपुरी, प. ह. नं. 52, ख. नं. :— 215/3, 215/2, 212, 211, 210/2, 210/4, 210/1, 209 तक.

(ब) ग्राम डूमरतराई, प. ह. नं. 52 का ख. नं. :— 347/3, 347/6, 347/1, 346/5, 346/8, 344/1, 345, 340, 241/2, 242/3, 242/15, 252/1, 252/4, 254, 256/3, 257, 258, 260, 263, 264, 265, 308, 305, 308/3, 308/4, 308/2, 308/8, 9, 10, 424, 423/2, 423/1, 422, 419, 418, 416/2, 415, 413, 408, 407/2, 406, 404, 400/2, 399/3, 398/3, 397/3, 395, 394, 393, 363/2, 363/1, 362, 361 तक.

(स) ग्राम देवपुरी, प. ह. नं. 52 का ख. नं. :— 580, 498, 490/2, 490/1, 420/1, 420/3, 419, 419/2 तक.

पश्चिम में

(अ) पुराना धमतरी मार्ग
ग्राम डूंडा, प. ह. नं. 51, ख. नं. :— 487, 486/6, 485, 437, 438, 439, 309/2, 302, 301, 300, 290, 65/3, 71/1, 65/5, 65/15, 66/14, 65/7, 65/10, 66/59, 66/7, 56/8 तक.

(ब) ग्राम बोरियाखुर्द, प. ह. नं. 51 का ख. नं. :—258/1, 258/2, 258/3, 256, 253/5, 253/4, 253/1, 253/6, 252/4, 253/13, 252/3, 251/1, 192, 191/8, 191/12, 191/7, 191/5, 191/17 तक.

(स) ग्राम टिकरापारा, प. ह. नं. 45 का ख. नं. :—556/2, 557, 554/1, 559, 560, 562, 564, 575, 488, 486, 580/6, 580/7, 580/1 तक.

FORM XIII
(See Rule 18)

Town and Country Development Authority

No. 128/ज. सं/विप्रा/09.— It is hereby declared for the information of the general public that under sub section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 the Raipur Development Authority, which is the Town and Country Development Authority in Raipur Chhattisgarh, in compliance with order No. 1038/1778/32/2006, Raipur Dated 10-08-2009 of Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, D. K. S. Bhawan, Mantralaya, Raipur C. G., hereby amends the boundary limits of "Kamal Vihar" Integrated Township Scheme, Doonda, as published and notified in Chhattisgarh Rajpatra Bhag-1 serial No. 23 Notification No. 65/मिस/टी.एस./2006/63/विप्रा/09 Dated 26-05-2009 and as detailed in Schedule-I.

The amended boundary limits of the revised "Kamal Vihar" Integrated Township Scheme, Doonda shall be as detailed in Schedule-II hereunder.

SCHEDULE-I

North : Tikarapara, P. H. N. 114 up to Kh. No. 667, 666, 670/1, 674, 694, 695/1, 695/2, 696, 697, 706, 707, 625 & 431.

South : Doonda P. H. N. 118 up to Kh. No. 71/1, 73, 74, 78, 79/2, 79/1.

East : Doonda P. H. N. 118 up to Kh. No. 79/1, 85, 86/1, 86/2, 66/27, 66/60, 66/59, 66/58, 66/57, 40, 42, 44, 45, Part of 6, 7/1, 8/1-2, 10, 11, 12/1, 12/2, 15/1-2, 16/2, 17, 96/2, 103/6, 109/1, 111/1-2, 113, 117, 115/2, 116/1 and Tikarapara P. H. N. 114 up to Kh. No. 712, 713, 714, 716, 715 and 624.

West : Doonda P. H. N. 118 up to Kh. No. 65/17, 65/1-2-3, 65/15, 65/12, 65/11, 65/9, 66/21, 66/1, 66/59 (All the khasra No. mentioned as above till old Dhamtari Road) and up to Kh. No. 54, 56/7, 56/1-2-3, 6 Tikarapara P. H. N. 114 up to Kh. No. 682/3, 682/2, 682/1, 673/5, 672, 671, 670/2, 669, 667.

SCHEDULE-II
(Amended Boundary Limits)

North :-
(A) Tikarapara, P. H. N. 45 Kh. No. :—Up to 473, 474, 470, 471/2, 602/1, 605, 602/2, 602/6, 602/7, 602/4, 602/3, 599, 662, 663, 661, 660, 655, 625, 431.

(B) Raipur Dhamtari Road
Devpuri, P. H. N. 52 Kh. No. :— Up to 326/2, 324, 321, 318/4, 318/2, 318/16, 318/5, 318/15, 316, 314/4, 308/2, 307/3, 4, 307/1, 2, 306, 304, 282, 284/2, 275, 254, 253, 252, 249, 249/2, 248.

South :

(A) Devpuri, P. H. N. 52 Kh. No. :— Up to 417/5, 419/1.

(B) Doonda, P. H. N. 51 Kh. No. :— Up to 227, 228, 236, 242, 241, 244, 250, 531, 532/4, 538/4, 543, 544, 545, 549, 550/2, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 559, 558, 510, 509, 503, 502, 501, 507/2, 507/3, 507/4, 507/1, 500/2, 499, 498, 497.

East :

(A) Raipur Dhamtari Road
Devpuri, P. H. N. 52 Kh. No. :— Up to 215/3, 215/2, 212, 211, 210/2, 210/4, 210/1, 209.

(B) Dumartarai, P. H. N. 52 Kh. No. :— Up to 347/3, 347/6, 347/1, 346/5, 346/8, 344/1, 345, 340, 241/2, 242/3, 242/15, 252/1, 252/4, 254, 256/3, 257, 258, 260, 263, 264, 265, 308, 305, 308/3, 308/4, 308/2, 308/8, 9, 10, 424, 423/2, 423/1, 422, 419, 418, 416/2, 415, 413, 408, 407/2, 406, 404, 400/2, 399/3, 398/3, 397/3, 395, 394, 393, 363/2, 363/1, 362, 361.

(C) Devpuri, P. H. N. 52 Kh. No. :— Up to 580, 498, 490/2, 490/1, 420/1, 420/3, 419, 419/2.

West :

(A) Purana Dhamtari Road
Doonda, P. H. N. 51 Kh. No. :— Up to 487, 486/6, 485, 437, 438, 439, 309/2, 302, 301, 300, 290, 65/3, 71/1, 65/5, 65/15, 66/14, 65/7, 65/10, 66/59, 66/7, 56/8.

(B) Boriyakhurd, P. H. N. 51 Kh. No. :—Up to 258/1, 258/2, 258/3, 256, 253/5, 253/4, 253/1, 253/6, 252/4, 253/13, 252/3, 251/1, 192, 191/8, 191/12, 191/7, 191/5, 191/17.

(C) Tikrapara, P. H. N. 45 Kh. No. :— Up to 556/2, 557, 554/1, 559, 560, 562, 564, 575, 488, 486, 580/6, 580/7, 580/1.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष.